राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –136/2023 निगरानी

1. ग्राम पंचायत उमा जी का खेड़ा, पंचायत समिति बिजौलिया जिला भीलवाड़ा जरिए सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत उमा जी का खेड़ा, पंचायत समिति बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. श्रीमती मोहन बाई पत्नी महावीर प्रसाद राव निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

–गैर निगराकार

प्रकरण संख्या –185/2023 निगरानी

1. शिवलाल पिता मोहनलाल धाकड निवासी फतेहपुर तहसील बिजौलिया

–निगराकार

बनाम

1. श्रीमती मोहन बाई पत्नी महावीर प्रसाद राव निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
2. सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत उमाजी का खेडा पंचायत समिति बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

–गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पत्रावली संख्या 90 सम्वत 2044 दिनांक 15.05.1987 तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत उमा जी का खेड़ा पंचायत समिति माण्डलगढ

उपस्थित –

1. श्री गणेश जोशी अधिवक्ता एवं श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री कैलाश चन्द्र काष्ट अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.11.2025

प्रकरण में आदेशिका दिनांक 01.05.2025 से उक्त दोनो प्रकरणों में एक पटटे बाबत् दो अलग अलग उनवान से निगरानी पेश होने से उक्त दोनों प्रकरणों को क्लब किया गया। उक्त दोनों प्रकरणों में एक साथ सुनवायी की जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा हैं।

निगराकार की ओर से निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं पंचायत राज अधिनियम 1953 की धारा 27ए एवं पंचायत सामान्य

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

13.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नियम 272 विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत उमा जी का खेडा के द्वारा गैरनिगराकार को राजकीय बिलानाम भूमि सरकारी भूमि में से आबादी भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया जबकि तत्कालीन समय में पट्टे में अंकित भूखण्ड वाली सरकारी भूमि जो ग्राम फतेहपुरा की आराजी सरकारी से एवं चारागाह से आबादी हेतु वर्तमान में जरिये नामान्तरकरण सं. 308 दिनांक 24.07.2013 से आराजी सं. 10 रकबा 26 बीघा 07 बिस्वा भूमि में से आराजी नं. 10/1 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा भूमि आबादी में दर्ज हुई है। गैर निगराकार तत्कालीन पंचायत के द्वारा जारी पटटा जो कि गैर निगराकार को बिलानाम भूमि में से 13500 वर्गफिट का पटटा मात्र 400/– रूपये में जारी किया गया। गैर निगराकार अपने अविधि मान्य पटटे के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग के समीपस्थ ग्राम फतेहपुरा, ग्राम पंचायत उमा जी का खेडा की बहुकीमती आबादी भूमि पर राजमार्ग से अटेच आबादी भूमि पर काबिज होना चाहता है, और इसी पटटे को गैर निगराकार को आधार बनाया जा रहा है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 30.03.1988 पत्रावली सं. 90 सम्वत 2044 तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत उमा जी का खेडा पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाडा का पटटा को अपास्त फरमाये जाने का आदेश फरमाये।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत उमा जी का खेडा के द्वारा गैरनिगराकार को राजकीय बिलानाम भूमि सरकारी भूमि में से आबादी भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया जबकि तत्कालीन समय में पट्टे में अंकित भूखण्ड वाली सरकारी भूमि जो ग्राम फतेहपुरा की आराजी सरकारी से एवं चारागाह से आबादी हेतु वर्तमान में जरिये नामान्तरकरण सं. 308 दिनांक 24.07.2013 से आराजी सं. 10 रकबा 26 बीघा 07 बिस्वा भूमि में से आराजी नं. 10/1 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा भूमि आबादी में दर्ज हुई है। गैर निगराकार तत्कालीन पंचायत के द्वारा जारी पटटा जो कि गैर निगराकार को बिलानाम भूमि में से 13500 वर्गफिट का पटटा मात्र 400/– रूपये में जारी किया गया। गैर निगराकार अपने अविधि मान्य पटटे के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग के समीपस्थ ग्राम फतेहपुरा, ग्राम पंचायत उमा जी का खेडा की बहुकीमती आबादी भूमि पर राजमार्ग से अटेच आबादी भूमि पर काबिज होना चाहता है, और इसी पटटे को गैर निगराकार को आधार बनाया जा रहा

13.11.25

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 30.03.1988 पत्रावली सं. 90 सम्वत 2044 तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत उमा जी का खेडा पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाडा का पटटा को अपास्त फरमाये जाने का आदेश फरमाये।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में आपत्ति प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि गैर निगराकार को वास्तविकता में जो पटटा वर्ष 1988 में जारी किया गया वह तत्कालीन ग्राम पंचायत उमा जी का खेडा की ओर से नियमो के अनुकूल जारी किया गया। निगराकार ने उक्त निगरानी 36 वर्ष पश्चात् पेश की है जो बिना किसी ठोस कारणों से मियाद बाहर होने से निगरानी खारिज योग्य ठहरती हैं। निगराकार को उक्त निगरानी पेश करने की कोई लोकस स्टैण्डाई नही हैं। गैर निगराकार को पटटा जारी करते समय, उस समय के नियमों का पूर्णरूपेण पालना की गयी। निवेदन है कि निगराकार का निगरानी खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने वर्ष 1988 में जारीशुदा पटटे को निरस्त कराने बाबत् लगभग 35 वर्ष बाद निगरानी बिना किसी ठोस कारण के प्रस्तुत की हैं, जो मियाद बाधित ठहरती हैं। कब्जे के संबंध में निगराकार द्वारा कोई प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नही किये गये। निगराकार स्वयं ने अपनी निगरानी मेमों में अंकित किया कि ''उक्त प्रश्नगत पटटे के संबंध में कोई पत्रावली ग्राम पंचायत में नही हैं एवं न ही कोई रिकार्ड संधारित किया गया हैं।'' ऐसे में मिसल पत्रावली अथवा मिसल पत्रावली की सत्यापित प्रति के अभाव में पटटे की वैधता / अवैधता के संबंध में तथा प्रश्नगत पटटे का पंजीयन हो जाने से उक्त पटटे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित नही ठहरता हैं।

उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.11.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)